

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- २५वां

प्रकरण संख्या:- ५३/२०२५

दिनांक:- २५/०६/२०२५

उपखण्ड

श्री रामपुल्लय्य भूरा
गुजरे नि० गानेशगंज

बनाम

सरकार जारिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::




प्रार्थी के खाता वुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न वस्तावेज, पहचारी हल्का २५वां भू अ. नि. ५१०३२१ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के तहत ग्राम गानेशगंज प० ह० २५वां की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या १०७ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
१.	बैंक के नाम में अशुद्धि	स्टेट बैंक हाँफ वीकानेर २०६ (अशुद्ध) २१२वा चौथका बरवाड़ा	स्टेट बैंक हाँफ २१६था २१२था चौथका बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिहिापी :-

१. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर ले  के आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर फलाना प्रस्तुत करे।
२. प्रार्थी श्री रामपुल्लय्य भूरा गुजरे नि० गानेशगंज।
३. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)